

# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

पुनर्प्राप्ति एवं उत्तीर्ण बनाम

प्रवेश करी

किस्म मुकद्दमा

51वा


मु. नं.

271

वर्ष

2014

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
25/6/14	पत्रावली पेश हुई। वकील <del>कलक्टर</del> उप। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 7/7/14 को पेश की	
07 <sup>07</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपत्र के उप। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 15 <sup>07</sup> / <sub>25</sub> को पेश की	
15 <sup>07</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपत्र उप। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 06 <sup>08</sup> / <sub>25</sub> को पेश की	
6/8/14	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील <del>कलक्टर</del> (उप) वकील वरिष्ठ के आदेश का मत वाद में प्रमाणों को देकर पेश किया जो था परन्तु उपस्थित वकील वरिष्ठ के द्वारा कलक्टर के माफ़ि लिखे कि प्रमाणों की सूची के लेखों के माफ़ि के हक के मामला नम्बर 277 खासि एचए नगरपालिका वरिष्ठ के एक खोल दिनांक 3.8.14 का वाद को विद्वान का मत पेश है। उपस्थित वकील वरिष्ठ को (उप) पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वरिष्ठ के लिखे गए माफ़ि का वाद इसी हक पर पेश किया गया है। पत्रावली के कलक्टर को देकर पेश की जा रही है। पत्रावली के कलक्टर को देकर पेश की जा रही है।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर

